

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/164857/KSN/KUSHI NAGAR/1937/CFO

दिनांक : 09-07-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स HERITAGE INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL पता 0, NEAR MARUTI SHOWROOM, SADAR TOLA BHAISAHAN HETIMP, KUSHINAGAR तहसील - KASIA प्लॉट एरिया 5142 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 2041.20 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	1	0	3.5 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स HERITAGE INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 10-07-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री RAJIV KUMAR के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 12-07-2025 से 11-07-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स HERITAGE INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स HERITAGE INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : FSSO PADRAUNA की संस्तुति पर निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है। 1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभियन्ता से 02 वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाये। 3-अतिरिक्त भवन निर्माण/अधिभोग व किसी भी तल पर अधिभोग परिवर्तन करने पर विभागीय स्वीकृति ली जाये। 4-नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना वांछनीय होगा। 5-स्कूल में वार्षिक समारोह में लगने वाले पाण्डाल तथा अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जाये। भूतल पर संचालित विद्यालय हेतु FIRE NOC निर्गत की जा रही है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

| यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है। |



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SUPATRA SHANKHDHAR

4C7037648780A5FD625EFF8C9FD2718E884A4862

12-07-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-07-2025

स्थान : KUSHI NAGAR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

